न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–49/2021 (2021/209) दर्ज दिनांक 19.03.2021
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

1. देऊ पुत्री छोगा जाट
2. देवीलाल आत्मज छोगा जाट
3. धनराज आत्मज छोगा जाट
4. बाली पुत्री छोगा जाट
5. लहरी पत्नि छोगा जाट
6. श्रीकिशन आत्मज छोगा जाट

सर्व निवासी रघुनाथपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. जीतमल आत्मज किशना जाट
2. लेहरू आत्मज नंदराम जाट
3. गोपी आत्मज नंदराम जाट
4. नारायण आत्मज हीरा जाट
5. नोसी पत्नि हीरा जाट
6. भैरू आत्मज किशोर जाट

सर्व निवासी रघुनाथपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री रामेश्वर लाल जाट

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–06.08.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 188 रकबा 1.16 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.16 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 55 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं कर ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का डेलाना तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 188 रकबा 1.16 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.16 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 55 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/— (पांच सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/— (पांच सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.